डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को संशोधन करते हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्— **धारा 5 (1) में अन्तः स्थापन.**

"परन्तु प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव के शासकीय निवास के कुछ भाग को, जो उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निवास के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, उनके आवासीय कार्यालय के रूप में घोषित किया जा सकेगा."

धारा 5 की उपधारा 4 का लोप. 3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 4 का लोप किया जाए.

धारा 5 (1), 5 (3) एवं 9 (1) (क) व (दो) में स्थापन. 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) तथा (3) और धारा 9 (1) (क) व (दो) में शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो शब्द "रायपुर" स्थापित किया जाए.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव को आवंटित शासकीय निवास स्थान के कुछ भाग को आवासीय कार्यालय घोषित किया ज़ावे. इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 मार्च, 2002.

कृष्णकुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 की धारा 5 (1), (3), 9 (1) (क) व (दो) के सुसंगत उद्धरण :—

(2) धारा 5 (1) में अन्त: स्थापन—

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"परन्तु प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव के शासकीय निवास के कुछ भाग को, जो उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निवास के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, उनके आवासीय कार्यालय के रूप में घोषित किया जा सकेगा."

(3) धारा 5 की उपधारा 4 का विलोपन—

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 4 जिसे विलोपित किया जाना है वह निम्नानुसार है :—.

धारा 5 (4) यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को उपधारा (1) के अधीन दिये गये निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा :—

मंत्री	-	पैंतीस हजार रुपये
राज्यमंत्री	-	पच्चीस हजार रुपये
उप मंत्री	-	बीस हजार रुपये
संसदीय सचिव	-	पन्द्रह हजार रुपंये

(4) धारा 5 (1), 5 (3) एवं 9 (1) (क) व (दो) में स्थापन.

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) तथा (3) और धारा 9 (1) (क) व (दो) में शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो शब्द "रायपुर" स्थापित किया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.